# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

| अपील संख्या | प्रवेश तिथि | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|
| 11/04/2017 | 14–02–2017 | 23–03–2022 |

1–महीलाल शर्मा पुत्र स्व0 आनन्दा जाति हैवासी ब्राहमण
2–मदन शर्मा पुत्र स्व0 आनन्दा जाति हैवासी ब्राहमण
3–पप्पू राम शर्मा पुत्र स्व0 आनन्दा जाति हैवासी ब्राहमण
4–रामदयाल शर्मा पुत्र स्व0 आनन्दा जाति हैवासी ब्राहमण
5–मनोज शर्मा पुत्र स्व0 आनन्दा जाति हैवासी ब्राहमण (वारिस काबिज जायदाद मृतक आनन्दापुत्र शिवनारायण) निवासीयान ग्राम सामोली तहसील लक्ष्मणगढ हाल तहसील कठूमर जिला अलवर।

अपीलांटस

**बनाम**

1–तहसीलदार कठूमर जिला अलवर।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार कठूमर का निर्णय दिनांक 07.09.1993 नामान्तकरण संख्या 210 ग्राम सामोली तहसील कठूमर।

उपस्थितः–

01. श्री उमांशकर खण्डेलवाल —वकील अपीलान्ट्स

02 राजकीय अभिभाषक —वकील रेस्पो0

**–:: निर्णय ::–**

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार कठूमर के निर्णय दिनांक 07.09.1993 नामान्तकरण संख्या 210 वाके ग्राम सामोली तहसील कठूमर जिला अलवर से व्यथित होकर पेश की पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया वकील अपीलांट की बहस सुनी गई। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट के पिता ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति थे, जो यह समझते रहे कि उनके नाम नामान्करण सही दर्ज हो गया है, अपीलान्ट को यह भी जानकारी नही थी, की उनके पिता के नाम नामान्तकरण सही दर्ज नही हुआ है। इस कारण समयावधि में अपील पेश नही की जा सकी जिसमें कोई लापरवाही या बदनियति नही रही है। जब अपीलान्ट को केडिट कार्ड के लिए नकल जमाबन्दी आदि की आवश्यकता हुई तो अपीलान्टस दिनाक 27.01.2017 को पटवारी हल्का से मिले तो पटवारी हल्का ने रिकार्ड देखकर बताया कि जमीन तुम्हारे पिता के नाम जरूर दर्ज है, लेकिन उनके नाम खातेदार कृषक का अंकन नही है, जिस पर उसी दिन नकल प्रार्थना पत्र



अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)

प्रस्तुत कर नकल प्राप्त की जाकर कानूनी सलाह लेकर अपील न्यायालय को बिना देरी के पेश की हैं। अपील पेश करने में जो देरी हुई है, वह गलत इन्तकाल दर्ज होने की जानकारी नही होने के कारण हुई है जो कि नेकनियती व युक्तियुक्त कारण पर आधारित होने से काबिल माफी तथा मयाद में मुजरा दिए जाने योग्य है, इस हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मयाद पेश किया गया है।

अपील में वर्णित विवादित आराजी खसरा न0 479 रकबा 03 बीधा 02 बिस्वा , 487 रकबा 02 बीधा 12 बिस्वा जिसके हाल आराजी खसरा न0 479 रकबा 0.78 है0 487 रकबा 0.66 है0 बनाये गये वाके ग्राम सामोली तहसील कठूमर जिला अलवर यह आराजी अपीलान्टस के द्वारा शिवनारायण पुत्र लालाराम की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी लेकिन बंदोबस्त विभाग ने उक्त आराजी को गलत व बेजा तौर पर कस्टोडियन सरकार दर्ज कर दिया जिस कारण अपीलान्टस के पिता आनन्दा पुत्र शिवनारायण ने उक्त आराजी का अंकन दुरूस्त कराने हेतु तथा अपने आपको खातेदार काबिज काश्तकार धोषित कराने के लिए राजस्व वाद संख्या 1/27/1989 बअनुवान आनन्दा बनाम राजस्थान सरकार न्यायालय सहायक कलक्टर राजगढ मु0कठूमर के यहा पेश किया जो दिनाक 11.01.1993 को अपीलान्टस के पिता आनन्दा के हक में निर्णित किया गयां। जिसकी अपील सरकार जर्ये तहसीलदार राजगढ ने न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी अलवर व राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर में की किन्तु दोनो अपीले खारिज कर दी गयी। तदुपरांत निर्णय की पालना में इजराय प्रस्तुत की जिसकी पालना में अपीलान्टस के पिता आनन्दा के नाम आलोच्य निर्णय से नामान्तकरण तो सही दर्ज कर दिया गया लेकिन उनके नाम के आगे खातेदार काबिज कृषक का अंकन होने से रह गया जिसे दुरूस्त कराने हेतु अपील पेश की गयी है।

अपीलान्टस के पिता आनन्दा का निधन हो चुका है, जिसके अपीलान्टस वारिस है तथा उसके उपरान्त अपीलान्टस इंतकालाधीन आराजी के खातेदार काबिज कृषक हो गये है। इस कारण आलोच्य निर्णय नामान्तकरण दुरूस्त कराया जाने हेतु अपील रिमाण्ड किये जाने हेतु प्रस्तुत की है।

राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गयी राजकीय अभिभाषक द्वारा अपील में वर्णित तथ्यो को नकारते हुये साथ ही आराजी कस्टोडियन की होने के साथ ही मियाद के बिन्दु पर अपीलान्ट खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र 5 कानूनी मियाद पर विचार किया। अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.09.1993 नामान्तकरण संख्या 210 वाके ग्राम सामोली तहसील कठुमर के विरूद्ध दिनांक 14.02.2017 को अपील पेश की है, जो करीब 23 वर्ष 5 माह बाद पेश की गयी है। विलम्ब की अवधि को कन्ट्रोम करने हेतु दिन प्रतिदिन का विवरण देना होता है, अपीलान्ट द्वारा राजस्व वाद संख्या 1/27/1989 बअनुवान आनन्दा बनाम राजस्थान सरकार न्यायालय सहायक कलक्टर राजगढ मु0कठूमर के यॅहा अपीलान्ट के पिता द्वारा पेश किया गया था, जो दिनाक 11.01.1993 को वादी के पक्ष में निर्णित किया गया पारित निर्णय के विरूद्व तथा माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी अलवर द्वारा दिनाक 20.07.1993 को सरकार की तरफ से प्रस्तुत अपील खारिज की गयी इसके उपरान्त दिनाक 23.05.1994 को माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर ने भी न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी

अलवर के निर्णय को यथावत रखा गया अतः यह नही कहा जा सकता है, कि अपीलान्ट को पारित निर्णय की जानकारी नही रही है। अपील अपीलान्ट मियाद अधिनियम दफा 5 में खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट मियाद के बिन्दू पर खारिज की जाती है, अपीलाधीन तहसीलदार कठूमर का आदेश दिनॉक 07.09.1993 नामान्तकरण संख्या–210 वाके ग्राम सामोली तहसील कठुमर यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत तहसीलदार कठूमर को मूल तहत रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर की कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 23.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 सुनीता पंकज)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)